MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our deep sense of sorrow and sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 361.

श्री अमर सिंह: सर, कार्य मंत्रणा समिति में सच्चर कमिटी की चर्चा करने की बात हुई थी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह क्वेश्चन ऑवर है। ...(**व्यवधान**)... यह क्वेश्चन ऑवर है। ...(**व्यवधान**)... यह क्वेश्चन ऑवर है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह:*

श्री शाहिद सिद्दिकी:*

SHRI V. HANUMANTHA RAO:*

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY:*

श्री सभापति: कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... यह क्वेश्चन ऑवर है। ...(**व्यवधान**)... लागू करने की बात ...(**व्यवधान**)... यह क्वेश्चन ऑवर है, कभी आपके क्वेश्चन होंगे और दूसरे मैम्बर ऐसा कुछ इश्यू उठा देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)... झगड़ा मत पैदा करो। ...(**व्यवधान**)... मैं तो अलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... क्वेश्चन नं॰ 361।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कार्यकरण

*361. **श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्व के राज्यों में काम कर रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन उद्योगों की लाभ/हानि सहित तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

---

*Not recorded.

(ग) घाटे में चल रहे उद्योगों को लाभ कमाने वाले उद्योगों में तबदील करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित पंजीकृत निर्माण यूनिटों हेतु उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2003-04) के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 929 फैक्टरियां हैं जिनमें से 833 कार्यरत हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में लाभ/हानि समेत राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है। सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली यह सहायता सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी की लागत का 25% और अधिकतम 50 लाख रुपये तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% और अधिकतम 75 लाख रुपये तक दी जाती है। इसके अलावा, बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों के लिए बढ़ी हुई दर पर यानी पूंजीगत लागत के 50% की दर पर सहायता (क्रेडिट लिंक्ड, बैंक एडेड) दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा उनकी स्थापना के लिए 4.00 करोड़ रुपये है, और विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष) प्रावधान अधिनियम, 1985 नामक एक विशेष कानून बनाया है जिसका प्रमुख उद्देश्य अन्यों के साथ-साथ घाटे में चल रही यूनिटों का पता लगाना और संभावित व्यवहार्य यूनिटों को पुनः चालू करने में तीव्रता लाना है। इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद के विपणन, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास जैसी समस्याओं पर विचार करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सहायता, सहायता-प्राप्त यूनिटों की समग्र वित्तीय व्यवहार्यता को बेहतर बनाने में मदद करती है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत निर्माण यूनिटों का राज्य-वार विवरण

राज्य	2001-02					2002-03					2003-04				
	फैक्टरियों की संख्या	कार्यरत फैक्टरियां	निवेशित पूंजी@	आय	लाभ/हानि (-)	फैक्टरियों की संख्या	कार्यरत फैक्टरियां	निवेशित पूंजी @	आय	लाभ/हानि (-)	फैक्टरियों की संख्या	कार्यरत फैक्टरियों	निवेशित पूंजी @	आय	लाभ/हानि (-)
असम	805	770	163340	34415	17115	834	765	152164	31788	13349	855	770	158981	27682	8259
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मणिपुर	8	6	252	26	10	8	6	247	184	162	8	5	257	47	24
मेघालय	10	10	3988	-942	-1096	7	7	282	106	62	9	9	412	168	107
मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नागालैण्ड	12	12	699	-53	-96	12	11	744	122	86	12	11	669	75	39
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
त्रिपुरा	48	44	3048	788	559	49	43	3519	796	477	45	38	3617	832	543

@ (लाख रुपये में)

Functioning of FPIs in NER

†*361. SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of food processing industries functioning in North-Eastern States as on date, State-wise;

(b) the actual position, including profit/loss, of these industries for each year during the last three years; and

(c) the policy adopted by Government to convert the industries running in losses into profit-making ones?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) As per the Annual Survey of Industries for the registered manufacturing units (2003-04) published by Central Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation, there are 929 factories in the food processing sector in the North Eastern Region of which 833 are in operation. A statement showing details including profit/ loss for the year 2001-02, 2002-03 and 2003-04, State-wise, is annexed.

For promotion of food processing industries, the Ministry of Food Processing Industries, under its plan schemes, provides financial assistance for setting up/expansion/modernization of food processing industries. Assistance is provided in the form of grant-in-aid subject to 25% of the cost of plant & machinery and technical civil works up to Rs. 50 lakhs in General Areas and 33.33% upto Rs. 75 lakhs in Difficult Areas including North Eastern Region. Further, higher rate of assistance (credit linked, back ended) for Fruit & Vegetable processing units @ 50% of the capital cost upto a maximum of Rs. 4.00 Crores for setting up and 1.00 Crore for expansion/modernization is available under Mini Mission IV of Technology Mission for Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal.

A special legislation namely, the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985, was enacted by the Government of India, with the main objective *inter-alia,* to determine sickness and expedite the revival of potentially viable units. Further, the assistance provided by the Ministry of Food Processing Industries helps in improving the overall financial viability of the assisted units by addressing problems such as availability of raw materials, marketing of products, suitable technology for production and human resource development.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

State-wise details of manufacturing units working in North-East

States	2001-02					2002-03					2003-04				
	No. of Factories	Factories in Operation	Invested Capital@	Income@	Profit/ Loss(-)	No. of Factories	Factories in Operation	Invested Capital@	Income@	Profit/ Loss(-)	No. of Factories	Factories in Operation	Invested Capital@	Income@	Profit/ Loss(-)
Assam	805	770	163340	34415	17115	834	765	152164	31788	13349	855	770	158981	27682	8259
Arunachal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Manipur	8	6	252	26	10	8	6	247	184	162	8	5	257	47	24
Meghalaya	10	10	3988	-942	-1096	7	7	282	106	62	9	9	412	168	107
Mizoram	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nagaland	12	12	699	-53	-96	12	11	744	122	86	12	11	669	75	39
Sikkim	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tripura	48	44	3048	788	559	49	43	3519	796	477	45	38	3617	832	543

@ (Rs. In lakh)

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, the hon. Minister has given a detailed reply to my question, but I am surprised that this information has been supplied by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. The Food Processing Ministry, I believe, does not have the information as to how many food processing units are working in Assam and in the North-Eastern Region. I am surprised that the Minister has told that 770 food processing units are in operation only in the State of Assam. But I would like to tell the hon. Minister that during this season, Assam produces maximum vegetables at various places and lot of vegetables are destroyed during this season. During this season, the prices of vegetables like tomatoes go down to fifty *paise* per kilogram at so many places. Now, when 770 food processing units are already working there, why is this situation arising in the State of Assam? May I know from the hon. Minister as to where are these 770 units working in the State of Assam?

SHRI SUBODH KANT SAHAY: We are having this information. The Central Food Processing Industry doesn't collect this information. This comes from the Statistical Department which is located in the State. If the hon. Member wants, I can give him the district-wise information later on. But it is a fact that in the State of Assam, these 770 units are already working. But still, the requirement is a lot, and things are really not working in the States of North-East because of some constraints. We are trying to focus on that in the Eleventh Five Year Plan and to give a complete package for the North-Eastern region. I think, the State Government's contribution does not come to fulfil that scheme.

Second thing, Sir, is that the private entrepreneurs are also not able to contribute to the development of infrastructure. We are trying how the public funding can be worked out for creating infrastructure, particularly, in the North-East, so that, as the hon. Member has mentioned, the percentage can be enhanced further. As far as North-East is concerned, we are focusing on this in the Eleventh Five Year Plan.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, my second supplementary is this. The hon. Minister has mentioned about the industrial infrastructure in the State of Assam and the North-Eastern region. Sir, as far as food processing industries is concerned, if something is produced, there is a problem of transport also. So, may I know from the hon. Minister whether he would consider a scheme, so that the products which come out of the

food processing industries can get a market in the mainland? I would also like to know whether he is considering a transport subsidy for those products which are being brought to the mainland for marketing.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, basically, the transport subsidy in the North-East is already there. You know that. That is, link up to the mainland. But beyond that, it is a matter of policy. I think, I will place this proposal before the Government, so that further transport subsidy can be given.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मंत्री महोदय ने लिखित उत्तर में बताया है कि पूर्वोत्तर में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 929 कारखाने चल रहे हैं, जिनमें से 833 कारखाने काम कर रहे हैं, in-operation हैं। लेकिन जो संलग्न Annexure है, उसको देख कर यह पता चलता है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 3 राज्यों में एक भी फैक्टरी कभी लगी ही नहीं। अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम के सारे कॉलम्स में लिखा है - NA, NA, यानी not applicable. कॉलम कह रहा है कि एक भी पैसे की पूंजी नहीं लगी, एक भी फैक्टरी कभी नहीं लगी और एक भी फैक्टरी काम नहीं कर रही है। मैं अपने अनुभव से जानती हूं कि मिजोरम में बहुत उम्दा स्तर का अदरक पैदा होता है और अरुणाचल में अनान्नास पैदा होता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए वे क्या कर रहे हैं? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 3 राज्यों में एक भी कारखाना कभी लगा नहीं, एक भी नये पैसे की पूंजी कभी लगी नहीं, तो क्या वे इन तीन राज्यों में नई फूड प्रोसेसिंग फैक्टरीज लगाने का कोई प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति जी, बेसिकली मंत्रालय की जो स्कीम या योजना है, उसमें हम अपने से कोई प्रस्ताव नहीं करते हैं, उसके लिए या तो राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव आता है या व्यक्तिगत एंटरप्रिन्योर्स के द्वारा प्रस्ताव आता है। अभी आपने जिन तीन राज्यों का जिक्र किया है, दुर्भाग्य से उन राज्यों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी होगी। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ...**(व्यवधान)**... मैं जानता हूं, लेकिन वह इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। चूंकि मंत्रालय की तरफ से हम इसका कोई सैंट्रलाइज्ड डाटा नहीं रखते हैं, यह डाटा स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से आता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तब एन.ए. क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यही है कि इन्फॉर्मेशन मिली है और इन्हें पता लगा है कि वहां पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आपने अपने लिखित उत्तर 'नाट एप्लीकेबल' दिया है।

श्रीमती वृंदा कारत: यह 'नाट एवेलेबल' भी हो सकता है।

श्री सुबोध कांत सहाय: यह नाट एवेलेबल है, नाट एप्लीकेबल नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नाट एवेलेबल के लिए तो लिखा जाता है, नाट एवेलेबल या फिर आप लिखते कि information is being collected.

श्री सुबोध कांत सहाय: यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलग से इन स्टेट्स से पूछ कर मैं इसका उत्तर भिजवा दूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं यह कह रहा हूं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नार्थ ईस्ट के लिए हम एकदम फोकस्ड योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार हम 90% या 100% फाइनांस करके या पब्लिक फंड से पैसे कलेक्ट करके वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएं। उसमें बैकवर्ड लिंकिंग, फॉर्वर्ड लिंकिंग एवं मार्केटिंग, इनके लिए भी प्रावधान है, वैसे भी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नालोजी में हम यह चाहते हैं कि जो भी वहां पर नया या पुराना उद्योग लगाना चाहता है, अभी एग्जिस्टिंग स्कीम के द्वारा हम उसको मदद करेंगे। यह हमारी प्राथमिकता है, फोकस है और हम माननीय सदस्या का कन्सर्न एप्रीशिएट करते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री आमिर आलम खान: सभापति महोदय, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए ''खाद्य-सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण गठन'' पर विचार कर रही है, जिससे खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकी जा सके?

श्री सुबोध कांत सहाय: महोदय, हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि "Integrated Food Law for quality and standards of food" के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने के बाद अब वह एक कानून का स्वरूप लेने जा रहा है और उसके तहत ला के अंदर फूड एथॉरिटी ऑफ इंडिया बनने जा रहा है जो आटोनामस बाडी होगा। Down the line, up to the Panchayat जो फूड से जुड़ा हुआ क्वालिटि एंड स्टैंडर्ड है, वही उसका स्टैंडर्ड फिक्स करेगा और उसी के आधार पर इसे मानिटर किया जाएगा। आपका जो कन्सर्न है, उसे मैं समझता हूं कि वह अगले फाइनांशियल ईयर से ...(**व्यवधान**)...

श्री आमिर आलम खान: लोग जहर खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं ...(**व्यवधान**)... हर चीज में मिलावट है ...(**व्यवधान**)...

श्री सुबोध कांत सहाय: कानून अभी भी है, लेकिन उसमें 16 कानूनों को एक करके इंटिग्रेटिड ला बनाया गया है। मैं समझता हूं कि अगले एक या दो महीनों में वह कानून अपने स्वरूप में आ जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

*362. **श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है; और

(घ) इन विद्यालयों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ): ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Opening of Kendriya Vidyalayas

†362. SHRI KRISHAN LAL BALMIKI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to open new Kendriya Vidyalayas in the country during the Eleventh Five Year Plan;

(b) if so, the State-wise details thereof;

(c) the number of out of the above schools for which process of opening has been started; and

(d) by when the construction of these schools will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) to (d) No decision has been taken regarding opening of new Kendriya Vidyalayas during the Eleventh Five Year Plan.

† Original notice of the question was received in Hindi.